उपखण्ड अधिकारी नवलगढ (झुन्झुनू)

पीठासीन अधिकारी :: मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 177/2012

फूंलीदेवी पुत्री गिरधारी जाति जाट निवासी चौढाणी तन परसरामपुरा पत्नी मोहनराम जाति जाट निवासी जयसिंहपुरा तन बडवासी तह0नवलगढ जिला झुन्झुनू

—वादिनी

बनाम

1. चावलीदेवी पुत्री गिरधारी जाति जाट निवासी चौढाणी तन परसरामपुरा पत्नी स्व0 सांवलराम जाति जाट निवासी जयसिंहपुरा तन बडवासी तह0 नवलगढ
2. दडकीदेवी पत्नी स्व0 लक्ष्मण (मृत—नाम हजफ)
3. सुलतान दतक पुत्र लक्ष्मण जाति जाट निवासीगण चौढाणी तन परसरामपुरा तह0नवलगढ
4. हरलाल पुत्र रामदेवा
5. बीरबल पुत्र रामदेवा जाति जाट निवासीगण चौढाणी तन परसरामपुरा तह0नवलगढ
6. राजस्थान ग्रामीण बैंक जरिये प्रबंधक शाखा परसरामपुरा तह0 नवलगढ
7. उप—पंजियक तहसील नवलगढ
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

—प्रतिवादीगण

अधिवक्ता वादी —श्री प्रदीपकुमार झाझडिया
अधिवक्ता प्रतिवादीगण नं. 1 व 3 विद्याधरसिह जाखड

दावा बाबत घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड, स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

निर्णय दिनांक 20.06.2019

वादिनी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम चौढाणी में गिरधारी पुत्र जैसाराम नामक व्यक्ति था जिसका देहान्त 1976 में हुआ था। गिरधारी के एक पुत्र लक्ष्मण पैदा हुआ तथा दो पुत्री चावली व फूली पैदा हुई। पुत्र लक्ष्मण का देहान्त सन 1998 में हो गया। वंशावली के अनुसार जैसाराम के गिरधारी हुआ तथा गिरधारी के लक्ष्मण फौत, तथा चावली प्र.न. 1 फूली वादिनी है। लक्ष्मण के वारिसान प्रतिवादी नं. 2 व 3 हैं। गिरधारी पुत्र जैसाराम के हक हकूक कब्जे काश्त की जमीन तीन खातों की रही जिसको स्व0 गिरधारी अपने जीवनकाल में मृत्यु हुई तब तक काश्त करता रहा। गिरधारी की मृत्यु के बाद गिरधारी के हक हकूक कब्जे काश्त की भूमियों को उसके तीनो वारिसान काश्त करने लग गये व काबिज हो गये तथा लगान अदा करने लगे। वादिनी स्व0 गिरधारी की जायन्दा पुत्री है जो स्व0 गिरधारी की तीसरी संतान है। प्रतिवादी नं. 1 भी स्व0 गिरधारी की जायन्दा पुत्री है तथा स्व0 लक्ष्मण भी स्व0 गिरधारी का जायन्दा पुत्र था। इस प्रकार स्व0 गिरधारी की मृत्यु के समय 1976 में गिरधारी के कानूनी व जायज वारिसान एक पुत्र लक्ष्मण दो पुत्रियां चावली व फूली रही जो स्व0 गिरधारी के हक हकूक कब्जे काश्त की कृषि भूमियों के खातेदार काश्तकार हो गये व काश्त करने लगे तथा उपयोग उपभोग करने लग जो आज दिन तक बराबर काश्त कर रहे हैं व काबिज है तथा तीनों हकदारों की जमीने शामलाती चलती आ रही है व कब्जा भी शामलाती है व फसलों का बराबर बराबर बंटवारा करके काश्त करते आ रहे हैं। इस तरह वादिनी अपने पिता गिरधारी की भूमि की तीसरे हिस्से की खातेदार काश्तकार है प्रतिवादी नं. 1 भी तीसरे हिस्से की खातेदार काश्तकार है व मृतक लक्ष्मण के कोई संतान पैदा नही हुई जिसने अपने बहिन प्रतिवादी नं. 1 चावली के पुत्र सुलतान को गोद ले लिया। इस तरह लक्ष्मण के तीसरे हिस्से का हकदार प्रतिवादी नं. 2 व 3 है। ग्राम परसरामपुरा से नया राजस्व ग्राम चौढाणी बना सिके अधीन तीनों खातों में स्व0 गिरधारी की कृषि भूमि रही जिसमें वादिनी का तीसरा हिस्सा है।

वादिनी के पिता गिरधारी के हक हकूक की जमीन पुराने ख.न. 707 रकबा 6 बीघा 12 बिश्वा, ख.न. 1011 रकबा 4 बीघा 6 बिश्वा, ख.न. 1019 रकबा 11 बीघा 2 बिश्वा ख.न. 1024 रकबा 4 बीघा 17 बिश्वा ख.न. 1146 रकबा 3 बीघा ख.न. 1173 रकबा 4 बीघा 17 बिश्वा, ख.न. 1279 रकबा 1 बीघा 17 बिश्वा, ख.न. 1330 रकबा 1 बीघा 10 बिश्वा, ख.न. 1339 रकबा 2 बीघा 3 बिश्वा किता 10 कुल

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

…40 बीघा 17 बिश्वा वाके ग्राम परसरामपुरा की सरहद में रहा है जो वादिनी के पिता गिरधारी के हकूक की जमीन है जिसमें वादिनी का तीसरा हिस्सा है जिस पर वादिनी कानूनन व भौतिक रूप काबिज है काश्त करती है लगान अदा करती है इस जमीन का राजस्व रिकार्ड वादिनी के पिता गिरधारी पुत्र जैसा के नाम दर्ज रहा है जो सही है।

वादिनी के पिता गिरधारी की मृत्यु के बाद नामा0सं0 292 दिनांक 18.11.1976 भरा गया जो वादिनी के पिता0 स्व0 गिरधारी के वारिसान के नाम काननून भरा जाना चाहिये था जो नही भरा गया इसलिये यह नामा0सं0 292 नाजायज़ है विधि विरूद्ध है मनमानी पूर्ण तरीके से वादिनी के भाई लक्ष्मण ने पटवारी हल्का गिरदावर एवं तत्कालीन सरपंच से नाजायज साज करके व मिलीभगत करके बाला बाला भरा गया जिसके बाबत कानूनी प्रकिया नही अपनाई गई तथा कोई जांच नही की गई विरासत का नामा0 सं0 292 गैर कानूनी रूप से अकेले लक्ष्मण के नाम भर दिया जबकि लक्ष्मण के साथ उसकी सगी बहिने वादिनी व प्रतिवादी नं. 1 का नाम भी नामा0 सं0 292 में मृतक गिरधारी के स्थान पर दर्ज होना चाहिये था जो नही हुआ, इसलिये नामा0सं0 292 निरस्त होने योग्य है। अलबता नामा0 से कोई अधिकार नही मिलते है महज रिकार्ड को अपडेट करने वास्ते नामा0 भरा जाता है। इस प्रकार विरासत के नामा0 में वादिनी अपने पिता की कूननन वारिस है तथा अपने पिता की कृषि भूमि की खातेदार है। जिसकी घोषणा करवा कर रिकार्ड में दुरूस्ती करवाने की कानूनन व तथ्यात्मक रूप से हकदार है। इस प्रकार गलत नामा0 विरासत का भरे जाने के कारण वादिनी के हक की जमीन मं लक्ष्मण का नाम चलता रहा तथा इस गलत नामा0 की वजह से आगे के समस्त राजस्व रिकार्ड में अकेले लक्ष्मण का नाम दर्ज होता रहा तथा लक्ष्मण की मृत्यु के बाद उसके वारिस उसकी पत्नी दडकी देवी व दतक पुत्र सुलतान के नाम दर्ज हो गया। इस प्रकार वादिनी के पिता की जमीन का रिकार्ड में वादिनी का नाम दर्ज नही हुआ अलबता वादिनी अपने हक की जमीन को काश्त करती रही है। भाई बहनों में अच्छा प्रेम व विश्वास रहा, जिसके चलते जमीनो को शामिल में काश्त करते रहे हैं व फसलों के अनाज का बंटवारा करते रहे हैं। वादिनी को उसके हक से उक्त गलत नामा0 के कारण वंचित नही किया जा सकता है। प्रतिवादी नं. 1 चावली भी प्रतिवादी नं. 2 व 3 से मिली हुई है क्योंकि प्रतिवादी नं. 3 उक्त प्रतिवादी नं. 1 चावली का जायन्दा पुत्र है इसिलये प्रतिवादी नं. 1 पुत्र मोह में वादिनी क विरूद्ध हो गई है व वादिनी को उसके हक से वंचित करने के षडयंत्र में शामिल है।

चौढांणी की तरफ सीमेन्ट फैक्ट्रियां के लगने का काम चल रहा है जिसके कारण जमीनों की कीमते असामान को छू रही है वादिनी के पिता की जमीन भी सीमेन्ट कम्पनियों के तहत आ रही है जिसके कारण वादिनी के पिता की जमीनों को गलत रिकार्ड का दुरूपयोग करके प्रतिवादी नं. 3 बेचने की फिराक में है इस बाबत वादिनी को पता चला तो वादिनी ने अपने हक हकूक कब्जे काश्त की भूमियों के राजस्व रिकार्डो की नकले ली तब पता चला कि वादिनी के पिता की जमीने तीनो खातों में है जिनमे एक खाता में तो वादिनी का नाम उसके हक की जमीन में दर्ज है लेकिन 2 खातों में तो वादिनी का का नाम दर्ज नही है इस बाबत वादिनी को दिनांक 02.07.2012 को ज्ञान हुआ इसके बाद वादिनी ने प्रतिवादी नं. 1, 2, 3 से बातचीत की तो उन्होने वादिनी की जमीन की हकदार होने से इन्कार कर दिय। इस प्रकार प्रतिवादी नं. 1, 2, 3 वादिनी के टाईटल को ही चैलेंज कर रहे हैं जिसके कारण वादिनी अपने हकों की घोषणा हेतु हकों की रक्षार्थ यह दावा पेश कर रही है। इस प्रकार वादिनी के हकों की जमीन अकेले वादिनी के सगे भाई लक्ष्मण के नाम गलत रूप से दर्ज हो गई जिसे दुरूस्त करवाया जाना कानूनन आवश्यक है। वादिनी के भाई लक्ष्मण की भी नियत खराब हो गई थी जिसका उजर लक्ष्मण ने अभाष नही होने दिया। उक्त वादग्रस्त आराजी के वर्तमान ख.न. 575, 600, 603, 604, 845, 846, 847, 850, 908, 909, 912, 914, 915 बने हैं। यह समस्त भूमि वादिनी के पिता स्व0 गिरधारी की रही है जिसमें वादिनी का तीसरा हिस्सा है। इस प्रकार इस खाते की जमीन 40 बीघा 7 बिश्वा है, जिसमें वादिनी का तीसरा हिस्सा प्रतिवादी नं. 1 का तीसरा हिस्सा, प्रतिवादी नं. 2 व 3 का तीसरा हिस्सा है। इस तरह वादिनी की पांति में 13 बीघा 9 बिश्वा जमीन है, जिस पर वादिनी काबिज है, खातेदार है, जिसका नाम रिकार्ड में गलती से नही आया है उसकी घोषणा करवाने की वादिनी हकदार है व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवाने की वादिनी अधिकारिणी है तथा प्रतिवादी नं. 1, 2, 3 की नियत खराब हो गई जो गलत रिकार्ड का दुरूपयोग करके वादिनी के हक की जमीन को बेचने की फिराक में है जिन्हे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना निहायत आवश्यक है अन्यथा वादिनी अपने कानूनी हकों से वंचित हो जावेगी, वादिनी की सख्त हक तलफी होगी वादिनी का प्राईमाफैसी मजबूत मामला है, सुविधा का संतुलन वादिनी के पक्ष. में है तथा अगर वादिनी को कोई रिलीफ नही दी जावेगी तो वादिनी को अपूर्णीय क्षति होगी। इस प्रकार वादिनी इस खाते की जमीन में

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

बीघा 9 बिश्वा की खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी नं. 1 भी 13 बीघा 9 बिश्वा की खातेदार काश्तकार है तथा वादिनी का सगा भाई लक्ष्मण भी 13 बीघा 9 बिश्वा का खातेदार रहा है, जिसके वारिसान प्रतिवादी नं. 2 व 3 हैं।

जमीन वादिनी के पिता के नाम दर्ज रही है इसलिये यह जमीन वादिनी की पैत्रिक जमीन है जिसमें कानूनन वादिनी का हक हकूक है नामा0 सं0 292 गलत भरके वादिनी का नाम दर्ज नही किया जो नाजायज है इसलिये गलत रिकार्ड को दुरूस्त किया जाने की संभावना है इसलिये वादिनी का नाम अपने पिता की जमीन के तीसरे हिस्से में दर्ज किया जावे। नई पैमाईश के बाद वादिनी के पिता की उक्त जमीन का कुल रकबा 9.54 दर्ज हुआ जिसमें वादिनी का तीसरा हिस्सा के बराबर 3.18 है0 दर्ज की जावे। वादिनी के पिता की मृत्यु के बाद गलत रूप से अकेले वादिनी के भाई लक्ष्मण का नाम रिकार्ड में दर्ज होने पर उसका दुरूपयोग करके लक्ष्मण ने उक्त जमीन में से प्रतिवादी नं. 4 , 5 को जरिये रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 10.04.97 को जमीन बेच दी जो ख.न. 1416/1.09, 1511/1.23 किता 2 कुल रकबा 2.32 है0 है । इस प्रकार वादिनी के भाई लक्ष्मण ने अपने हक की जमीन में से 2.32 है0 जमीन प्रतिवादी नं. 4,5 को विक्रय कर दी नामा0 भरवा दिया कब्जा दे दिया जो आज भी प्रतिवादी नं. 4 व 5 के हक हकूक में रिकार्ड में दर्ज है। इस प्रकार लक्ष्मण की पांति में इस खाते की जमीन 3.18 है0 जमीन थी जिसमें से लक्ष्मण प्रतिवादी नं. 4, 5 को 2.32 है0 बेच दी इसक बाद लक्ष्मण की मृत्यु हो गई तथा लक्ष्मंण के वारिसान प्रतिवादी नं. 2, 3 है जिनके हक में इस खाते की जमीन में 0.6 है0 जमीन बची है जिस पर लक्ष्मण के वारिसान प्रतिवादी नं. 2, 3 काबिज है, काश्त करते हैं खातेदार काश्तकार हैं क्योंकि इस खाते की जमीन में लक्ष्मण के हिस्से में 3.18 है0 जमीन आई है जिसमें लक्ष्मण ने 2.32 है0 जमीन बेच दी तो 3.18–2.32 अर्थात 0.86 है0 जमीन लक्ष्मण के वारिसान के बची है लेकिन रिकार्ड वादिनी के पिता के मरने के बाद रिकार्ड अकेले लक्ष्मण के नाम होने के कारण आज भी अकेले लक्ष्मण के वारिसान के नाम रिकार्ड गलत चला आ रहा है इस कारण गिरधारी के हक की 9.54 है0 जमीन अकेले लक्ष्मण के नाम दर्ज हो रखी थी जिसमें से लक्ष्मण ने 2.32 है0 जमीन विक्रय कर दी तो शेष 7.22 है0 जमीन लक्ष्मण की मृत्यु के बाद लक्ष्मण के वारिसान प्रतिवादी नं. 2 , 3 के नाम दर्ज रह गई जो गलत रही है।

उक्त खाते की जमीनों के नये ख.न. 575, 600, 603, 604, 845, 846, 847, 850, 908, 909, 912, 914, 915 किता 13 रकबा 7.22है0 है जिसमें वादिनी 3.18 है0 की खातेदार है प्रतिवादी नं. 1 भी 3.18 है0 की खातेदार है तथा प्रतिवादी नं. 2, 3 भी 0.86 है0 के खातेदार थे। इसी प्रकार खातेदार होने की घोषणा की जावे व राजस्व रिकार्ड भी इसी प्रकार बनवाया जावे। प्रतिवादी नं. 2 व 3 वादिनी के हक की जमीन बेचने की बदनियति बना ली उसी के तहत प्रतिवादी नं. 2 ने एक तथाकथित हक त्याग पत्र प्रतिवादी नं. 3 के हक में बनवाया जो नाजायज है गैर कानूनी है तथा बिना अधिकार के बनाया गया है जो अब इनिसियो वोईड है वादिनी के हको पर व अधिकारों पर बेअसर है क्योंकि प्रतिवादी नं. 2 की जमीन बनती ही नही है। हक त्याग वादिनी की जमीन का भी प्रतिवादी नं. 2 ने किया है जो कानूनन नल एण्ड वोईड है व शून्य है, बिना हक हकूक हुये किया गया है जिसकी कानूनी कोई कीमत नही है। प्रतिवादी नं. 1 का केवल 0.86 है0 के आधा हिस्सा 0.43 है0 बनता है यानिकि उक्त ख.न. के रकबा 7.22 है0 प्रतिवादी नं. 2 का हक केवल 0.43 है0 बनता है इस रकबे से ज्यादा का हक त्याग प्रतिवादी नं. 2 को करने का कतई अधिकार नही था क्योंकि प्रतिवादी नं. 2 का हक केवल 0.43 है0 जमीन पर हो रहा है। इस प्रकार प्रतिवादी नं. 2 व 3 की बेईमानी स्पष्ट जाहिर हो गई कि वे वादिनी को उसके कानूनी हकों से वंचित करने की फिराक में है। इस तरह तथाकथित हक त्याग कानूनन शून्य एवं इनिसियो वाईड है वादिनी के हक व अधिकार पर बेअसर है।

पुराने ख.न. 1341 रकबा 3 बीघा 12 बिश्वा ग्राम परसरामपुरा की जमीन वादिनी के पिता गिरधारी के हक हकूक कब्जे काश्त व लगानी की रही है जिसका राजस्व रिकार्ड वादिनी के पिता के नाम दर्ज रहा जो संवत 2021 से 2024 की जमाबंदी से साबित है। यह जमीन पैत्रिक जमीन है जिसमें वादिनी के पिता का चौथा हिस्सा था जिसमें वादिनी तीसरे हिस्से की खातेदार काश्तकार है हक हकूक रखती है, काश्त करती है काबिज है लगान अदा करती आ रही है। वादिनी के पिता के तीन वारिसान है जिसके बावत पूर्व में विस्तार से बताया गया है। इस प्रकार इस खाते में 1/12 हिस्सा है जिसकी वादिनी कानूनन व तथ्यात्मक रूप से खातेदार है इस जमीन के नये ख.न. 1928, 1929, 1930, 1933 बने हैं जिसके भी नये ख.न. ग्राम चौढाणी बनने से बने हैं जो ख.न. 910, 911, 913, 914 है इसमें वादिनी 1/12 हिस्से की कानूनन व तथ्यात्मक रूप से खातेदार काश्तकार व काबिज है वादिनी की यह जमीन पैत्रिक है इसके राजस्व रिकार्ड में वादिनी का नाम दर्ज नही है। पिता की मृत्यु

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

वाद वादिनी व प्रतिवादी नं. 1 के नाम भी दर्ज होना चाहिये था जो नही हुआ जो गैर कानूनी है अकेले लक्ष्मण के वारिस प्रतिवादी नं. 2 व 3 के नाम दर्ज है। वादिनी का इस भूमि में 1/12 हिस्सा है। इस जमीन के बाबत प्रतिवादी नं. 2 दिनांक 02.04.2012 को एक तथाकथित हक त्याग करवाया है जो इब इनिसियो वोईड है बिना अधिकार के करवाया गया है जो कानूनन शून्य है नल एण्ड वोईड है तथा वादिनी के अधिकारों पर बेअसर है। हकत्याग में प्रतिवादी नं. 2 ने 1/8 हिस्सा बताकर हक त्याग किया है इसलिये यह हक त्याग–पत्र आब इनिसियो वोइड है बिना अधिकार के किया गया है जिसका कानूनन कोई अहमियत नही है तथा वादिनी के अधिकारों पर बेअसर है। इस जमीन ख.न. 910/0.19, 911/0.19, 913/0.07, 1918/0.46 किता 4 कुल रकबा 0.91 है0 के 1/4 हिस्से में तीसरे हिस्से यानि 1/12 हिस्से की खातेदारी वादिनी को घोषित की जावे।

जमीन पुराने ख.न. 1181, 1182, 1189, 1177, 1175, 1176 1183, 1186, 1184 ग्राम परसरामपुरा वादिनी के पिता के हक हकूक की जमीन है जिसके नये ख.न. 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866 ग्राम परसरामपुरा बने जो जमाबंदी संवत 2044आधार वर्ष मे बताया है जिसमें वादिनी के पिता के स्थान पर वादिनी प्रतिवादी नं. 1 व लक्ष्मण का नाम 1/4 हिस्से जमीन में दर्ज हो जो सही है क्योंकि वादिनी के पिता के तीन वारिस कानूनन व वाजिब है जिनमें वादिनी , प्रतिवादी नं. 1 व लक्ष्मण है। इस जमीन के 1/4 हिस्से का खातेदार वादिनी का पिता था जिसमें तीसरा हिस्सा यानि 1/12 हिस्से का खातेदार वादिनी का पिता था जिसमें तीसरा हिस्सा यानि 1/12 वादिनी का है, 1/12 हिस्सा प्रतिवादी नं. 1 का है तथा 1/12 हिस्सा प्रतिवादी नं. 2, 3 का है इसी अनुसार घोषणा करवाना चाहते हैं। प्रतिवादी लं0 2 ने अपने हक का त्याग प्रतिवादी नं. 3 को किया है इस प्रकार ख.न. नये 828, 830, 831, 832, 933, 834, 835, 836, 838, 839, 840 किता 11 कुल रकबा 2.93 है0 वाके गाम चौढाणी केक 1/12 हिस्से की खतोदार वादिनी, 1/12 हिस्से की खतोदारी प्रतिवादी नं. 1, व 1/12 हिस्से का खातेदार प्रतिवादी नं. 3 है। प्रतिवादी नं. 1 लगायत 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि इस जमीन पर काबिज रहने काश्त करने व उपयोग उपभोग करने में वादिनी को बाधा पैदा नही करे तथा खाता शामलाती है इसिलये इस जमीन के किसी हिस्से को विक्रय नही करे इस खाते की जमीन के हिस्सों की घोषणा वादिनी करवाना चाहती है इसलिये अन्य हिस्सेदारो को पक्षकार नही बनाया है।

वाद की धारा 3 व 4 में बताई जमीनों के रिकार्ड में वादिनी का नाम दर्ज नही है जबकि इन जमीनो की वादिनी खातेदार है रिकार्ड गलत बना हुआ है जो प्रतिवादी नं. 3 के नाम नाजायज रूप से दर्ज है इसलिये प्रतिवादी नं. 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि दावे की धारा 3 व 4 में बताई गई जमीनो को विक्रय नही करे रहन नही रखेत जमीनो को खराब नही करे तथा वादिनी को अपने हक व पांति की जमीन काश्त करने काबिज रहने उपयोग उपभोग करने से नही रोके।

अतः वाद वादिनी पेश कर निवेदन है कि दावा डिक्री फरमाया जावे तथा दावे की धारा 3, 4, 5 में बताई जमीनो के खातेदार की घोषणा दावे की धारा 3, 4, 5 में बताये अनुसार की जावे। घोषणा के मुताबिक राजस्व रिकार्ड में अंकन करकवाने हेतु आदेश प्रतिवादी नं. 8 को दिया जावे। प्रतिवादी नं. 1, 2, 3, 7, 8 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि दावे की धारा 3, 4, 5 में बताई कृषि भूमियों के राजस्व रिकार्ड व मौके बाबत यथास्थिति बनाये रखे तथा वादिनी को अपने हक की जमीन जो दावे की धारा 3, 4, 5 में बताई है को काश्त करने दे, काबिज रहने दे, उपयोग उपभोग करने देवें।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण नं. 4 लगायत 8 बावजूद नोटिस तामील के उपस्थित नही होने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी नं. 1, 2 व 3 की ओर से वकील श्री विद्याधरसिंह जाखड का वकालतनामा पेश हुआ तथा इनकी और से जबावदावा पेश कर वाद वादी अस्वीकार किया गया जिनमें दडकी देवी की मृत्यु हो चुकी है जिसका नाम हजफ किया जा चुका है। जबाबदावा में वर्णित किया गया कि वंशावली गलत दर्ज की है जो स्वीकार नही है। वादिनी फूलीदेवी गिरधारी की पुत्री नही है बल्कि गिरधारी की बहिन रामादेवी की लडकी है जो फूलदेवी के जन्म देते ही फौत हो गई थी और उसे गिरधारी व दडकीदेवी ने ही पाला है। गिरधारी पुत्र जैसाराम का देहान्त मार्च सन 18त्र975 में होली के पहले हुआ था। उस साल होली नही मनाई थी, लक्ष्मण का देहान्त 1995 में हुआ था इस प्रकार वादीगण ने सही तथ्य दर्ज नही किये हैं। वादिनी गिरधारी की बहन रामादेवी की पुत्री थी जो उसे जन्म देतेही फौत हो गई थी और गिरधारी ने ही उसे पुत्री मानकर पाला और पुत्री की तरह से ही गिरधारी ने शादी की। वादिनी गिरधारी की जायन्दा पुत्री नही है गिरधारी की बहिन की जायन्दा पुत्री

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

IVUKH

Scanned by CamScanner

और गिरधारी ने ही फूलीदेवी की शादी की गिरधारी भी उसे पुत्रीवत् मानता रहा ओर उसकी मृत्यु के वादीगण भी उसे पुत्रवत मानते है और भात छुछक पुत्री के ही रूप मे किया है इस परिस्थिति व स्थिति का बेजा फायदा उठाकर यह झूठा वाद पेश किया है। सन 1955 में जब खातेदारी अधिनियम प्रभाव में आया तब गिरधारी जिन्दा था लेकिन भूमि मुख्तया लक्ष्मण ही काश्त करता था गिरधारी अपंग था काश्त करने में सक्षम नही था भूमि पर कब्जा काश्त लक्ष्मण का था, लेकिन गिरधारी पिता होने के कारण खातेदारी उसके नाम से दर्ज करवादी । तीन जगह तीन खातों की जमीन होना स्वीकार है। वादिनी न तो गिरधारी की उतराधिकारी है ना ही उतराधिकार से उसे कोई हक अधिकार प्राप्त है गिरधारी फौत हुआ तब सिर्फ उसके पुत्र लक्ष्मण को उतराधिकार प्राप्त हुये व ही एक मात्र उतराधिकारी मृतक गिरधारी का था इसी अनुसार इन्तकाल तस्दीक हुआ। इन्तकाल 35–40 साल पुरानाहै जिसको आज तक न तो किसी ने चुनौती दी और ना ही सक्षम न्यायालय मं अपील की जिसे वादिनी अपने आचरण से आज तक स्वीकार करती आई है जो उसके विरूद्ध स्टोपल बाई कन्डेक्ट है। वादिनी ने न तो वादग्रस्त भूमि को कभी काश्त किया ना ही उसका कभी कब्जा काश्त है ना ही उसने कभी लगान दिया अगर उसने लगान दिया है तो एक भी रसीद लगान की पेश करके बता दे। वादिनी की शादी सन 1965 मं लक्ष्मण व गिरधारी ने जयसिंहपुरा के मोहनराम के साथ की थी जिसके 5 पुत्र व 2 पुत्रियां है। 3 पुत्र हरीराम बेगाराम व हेमकरण है। हेमकरण व दो पुत्रियां सुमित्रा व संतोष की शादी हो चुकी है जिसके भात छुछक भी उतरदाता ने सामाजिक रीति रिवाज व पाल पोष कर बडा किया था और स्नेह था, इस कारण भरे हैं जिनमें ताराचन्द व महेश अविवाहित हैं। वादिनी का ना तो कब्जा रहा है ना कभी काश्त की है। सन 1965 से अपने ससुराल में है वही अपने पति के साथ जमीन काश्त करती है वही राशनकार्ड है वही उसकी वोटरलिस्ट है, वही रहवास है। चौढाणी में न तो कभी उसका राशनकार्ड बना है ना ही उसमें वोटरलिट है ना ही उसक स्थाई रहवास है। शादी विवाह में बुलाते है व लाते हैं तब आती है ना ही फसलों का उसने कभी बंटवारा किया। वादिनी का कोई हक हिस्सा नही है, इस भूमि पर पहले लक्ष्मण का हक अधिकार था और उसके फौत होने पर उसकी धर्मपत्नी दडकीदेवी व दतक पुत्र सुलतान का कब्जा काश्त है जो मौके पर जाकर आज भी देखा जा सकता है। विद्युत चाह मृतक लक्ष्मण के नाम से है। जहां तक इन्तकाल नं. 292 का प्रश्न है गिरधारी की मृत्यु के करीब डेढ–दो वर्ष बाद में भरा गया था क्योंकि मृतक लक्ष्मण इन्तकाल भरने की न तो कोई कार्यवाही की और अपने पिता के नाम ही खाता रखना चाहता था लेकिन जब कुआ बनवाया और विद्युत संबंध लेने की आवश्यकता पडी तब इन्तकाल भरने की कार्यवाही की। ग्राम पंचायत व पटवारी हल्का ने मौका देख कर कब्जा काश्त मृतक लक्ष्मण का देखकर विधि अनुसार वही मृतक गिरधारी का एक मात्र उतराधिकारी था के कारण इन्तकाल नं. 292 भरा गया है जिसको आज तक किसी ने कोई चुनौती नही दी ना ही कोई अपील की है। सब मृतक गिरधारी के उतराधिकारी को स्वीकार करते हैं। तथा लक्ष्मण की मृत्यु पर उसके जायज उतराधिकारी उसकी पत्नी दडकी देवी व उसके पुत्र सुलतान के नाम इन्तकाल भरा गया है जिसको भी आज तक किसी ने कोई चुनौति नही दी है। वादिनी ने सीमेन्ट की पेटियों के लगने का काम चल रहा है इसी लालच में झूठा दावा पेश किया है। जहां तक एक खाते में वादिनी का नाम दर्ज होने का प्रश्न है उक्त जमीन राधाकृष्ण भजनलाल गजानन्द पुत्र हरनारायण जाति चौबी की थी जिसका मुकदमा लडके इस भूमि में लक्ष्मण चावली व फूलीदेवी का नाम दर्ज कराया गया था क्योंकि वादिनी चावली को गिरधारी ने पुत्री की तरह पाला था और मृतक गिरधारी भी उसे बहिन का ही दर्जा देता आया था इसलिये गिरधारी भी उसे बहिन का ही दर्ज देता आया था इसलिये गिरधारी ने कभी अपनी बहन की लडकी के साथ कोई नाइन्साफी ना हो जाये उसका पीहर नही छुट जाये यहां आती जाती रहे इसलिये अपने पुत्र गिरधारी व पुत्री चावलीदेवी व अपनी बहन की पुत्री फूलीदेवी को अपनी पुत्री मानकर व पुत्री को अपने पिता का नाम देकर उसके नाम खातेदारी दर्ज करवा दिया इस कारण उक्त भूमि मुकदमा लडकर मुकदमे में गिरधारी व लक्ष्मण ने प्राप्त की थी और वादिनी के भविष्य को व उसके पीहर को सुरक्षित रखने के लिये गिरधारी ने उसका नाम खातेदारी मे दर्ज करवा दिया। इस प्रकार तमाम परिस्थितियों का वादिनी अब नाजायज व लालच में आकर बेजा फायदा उठाना चाहती है जिसका उसे कोई अधिकार नही है। विकय पत्र दिनांक 10.04.97 को करीब 16 वर्ष का समय हो गया उसे आज तक कही चुनौती नही दी न ही कभी इसका कभी ऐतराज किया है ना ही किस प्रकार कोई प्रार्थनापत्र पेश किया है।

संवत 2005 के पूर्व तक लडकियां अपने पिता की पैत्रिक सम्पति में सहदायी नही होती थी यानि की पैत्रिक सम्पति में उनका कोई हक. हिस्सा नही था उनको उनके पिता का जो हिस्सा बनता था उसमें वह उतराधिकारी होती थी। और जो हिस्सा उनके पिता की सम्पति में मिलता था उसे प्राप्त

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

कर सकती थी ओर उनके पिता का जो हिस्सा बनता था उसमें पुत्र पुत्रियों व मृतक की स्त्री का बराबर बराबर हक हिस्सा होता था। जहां तक दिनांक 02.04.2012 के हक त्याग जो प्रतिवादी नं. 2 ने अपने पुत्र के नाम करवाया है वह सही व कानूनी करवाया है उसको चुनौती देने का वादिनी को कोई हक अधिकार नही है ओर ना ही वादिनी को वाद पेश करने का अधिकार है। प्रतिवादी नं. 7 व 8 को गलत पक्षकार बनाया है न तो दावा अर्जेन्ट नेचर का है ना ही वादिनी का कोई विधिक अधिकार की भूमि है। इस प्रकार वादिनी ने दो माह का नोटिस दिये बिना जो वाद पेश किया है वह खारिज होने लायक है।

वादिनी का वादग्रस्त भूमि में कोई किसी प्रकार का विधिक अधिकार नही है वादिनी ने गलत तारीखे दर्ज करके बनवाटी वादकारण दर्ज करके वाद पेश किया है मूल वादकारण इन्तकाल सं0 292 दिनांक 18.11.1976को दर्ज हुआ व दिनाकि 10.04.1997 को विक्रय पत्र एक्सचेन्ज हुआ के रोज इनको चुनौती देने का वादकारण पैदा होता है वह भी उसी व्यक्ति को हो सकता है जिसकी वल्दीयत का कोई विवाद नही हो और प्रथम दृष्टया मामला उसके विधिक बनते हो। वादिनी को कोई विधिक अधिकार नही है इस कारण वादाधिकार के अभाव में वाद पत्र खारिज होने लायक है। दिनांक 10.04.97 के विक्रय पत्र को वादिनी ने चुनौती दी है और गिरधारी के नाम खातेदारी दर्ज होना व उसके आधार पर विक्रय पत्र कराना दर्ज किया है गिरधारी को कर्ता होना बताया है। इस प्रकार के विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अतः न तो वादिनी का कब्जा है ना ही वादिनी ने कभी काश्त किया है ना ही वादिनी ने कभी लगान दिया है ना ही विद्युत चाह में नाम दर्ज है ना ही चाह व विद्युत संबंध कराने में जो खर्चा लगा है वह खर्चा भी नही दिया है और वह अपने आचरण से हमेशा उक्त भूमि उतरदाता सुलतान की मानती रही है। इस कारण वादिनी का वाद आधारहीन व झूठा होने के कारण खारिज होने लायक है। जबाब दावा पेश होने पर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गईः—

1. तनकी नं. 1:— आया वादिनी स्व0 गिरधारी की पुत्री होने से स्व0 गिरधारी की भूमि में 1/3 हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। —भा.स.वादिया
2. तनकी नं. 2:— आया स्व0 गिरधारी के फौत होने पर वादग्रस्त आराजी का राजस्व रिकार्ड अकेले लक्ष्मणराम के नाम से गलत दर्ज हुआ है। —भा.स.वादिया
3. तनकी नं. 3:— आया प्रतिवादी नं. 2 द्वारा प्रतिवादी नं. 3 के पक्ष में दिनांक 02.04.2012 को तस्दीक करवाया गया हकतर्कनामा एबएनिसियो वॉईड है। —भा.स.वादिया
4. तनकी नं. 4:—आया वादिनी स्व0 गिरधारी की पुत्री नही है, रामादेवी की पुत्री है।—भा.स.प्रतिवादीगण
5. तनकी नं. 5:— आया विक्रय पत्र व हकतर्कनामा मंसुख व प्रभावहीन घोषित करने का न्यायालय को क्षेत्राधिकार नही है। —भा.स.प्रतिवादीगण
6. तनकी नं. 6:— आया दावा मियाद बारह होने से खारिज होने लायक है। —भा.स.प्रतिवादीगण
7. तनकी नं.7:— आया वादिया को कोई वादकारण पैदा नही हुआ है। —भा.स.प्रतिवादीगण

साक्ष्य वादी में वादिनी फूलीदेवी गवाह महेशकुमार, रणवीरसिंह के बयान करवाये गये तथा दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये तथा साक्ष्य प्रतिवादी में सुलतान, घासीराम, मुन्नाराम व लालचन्द के बयान करवाये गये तथा दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये। बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। बहस में वकील वादी द्वारा वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए नजीर के रूप में माननीय राज0 उच्च न्यायालय वर्ष 2012(2)डब्लूएलसी राज0 797 रूकमणी बनाम भोलाराम, परमदेव व अन्य बनाम स्टेट आफ हिमाचन 2014(1)एचएलजे(एचपी)440, माननीय उच्चतम न्यायालय 2015(3)पेज 278 एच लक्ष्मैया रैड्डी और अन्य बनाम एल वेकटेश रेड्डी आदि नजिरें पेश की गई। वकील प्रतिवादी द्वारा जबाब दावा के तथ्यों को दोहराते हुये नजीर के रूप में एआईआर 1959एससी पेज 31, एआईआर 1979 कलकतर पेज 50डी, एआईआर 1982कलकता पेज 251बी, एआईआर 1997 इलाहबाद 17बी, आरआरडी 2001 पेज 20, एआईआर 1984 एससी पेज 1234 सी, एआईआर 1978 एससी पेज 1239 तथा न्यायालय व0 सि0 न्यायाधीश नवलगढ के यहां दर्ज वाद की प्रति पेश की गई। बहस तथ्यों पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व प्रस्तुत शहादत पक्षकारान का अवलोकन किया गया। तनकी वार निर्णय निम्नानुसार हैः—

1. तनकी नं. 1:— इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। इस तनकी में मुख्य विवाद्यक बिन्दू यह है कि वादिनी स्व0 गिरधारी की पुत्री होने से वादग्रस्त भूमि में 1/3 हिस्से की उतराधिकारिणी है। वादिनी स्वयं को गिरधारी की पुत्री बता रही है जबकि प्रतिवादीगण वादिनी को गिरधारी की बहन की पुत्री बता रहे हैं। अतः इस तनकी में सर्व प्रथम यह तय किया जाना है कि वादिनी गिरधारी की पुत्री है या नही। वादिनी द्वारा इसके समर्थन मे सिर्फ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं टेन्ट रेंट आफिसर

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

झुनू के वाद संख्या 101/1964 लिक्ष्मण वगैरह बनामा राधाकृष्ण में पारित निर्णय दिनांक 05.12.77 की प्रति पेश की है। भूमि गिरधारी की होने के संबंध में कोई विवाद नही है। प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश नवलगढ में वादिनी द्वारा प्रस्तुत वाद की प्रति जिसमें वादिनी ने स्वयं को गिरधारी की पुत्री होने से उनकी वैद्य उतराधिकारिणी घोषित करने की रीलिफ चाही है। वैद्य उतराधिकारी तय करने का अधिकार माननीय सिविल न्यायालय को है। वादिनी गिरधारी की पुत्री व वैद्य उतराधिकारिणी है या नही यह माननीय सिविल न्यायालय द्वारा तय किया जायेगा। प्रस्तुत वाद में वादिनी स्वयं को सभी संदेहो से परे गिरधारी की पुत्री साबित करने में असमर्थ रही है। अतः इस तनकी का निर्णय वादिनी के विरूद्ध किया जाता है।

2. तनकी नं. 2:– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। तनकी संख्या 1 किये गये विवेचन के अनुसार वादिनी स्वयं को सभी संदेहो से परे गिरधारी की पुत्री साबित करने में असमर्थ रही है, अतः गिरधारी की मृत्यु होने पर राजस्व रिकार्ड में अकेले लक्ष्मणराम के नाम से दर्ज होने को गलत नही माना जा सकता। अतः तनकी तनकी संख्या 2 का निर्णय वादिनी के विरूद्ध किया जाता है।

3. तनकी नं. 3:– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादिनी पर था। माता द्वारा पुत्र के पक्ष में हकतर्कनामा करवाना विधि सम्मत है। अतः प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा प्रतिवादी सं0 3 के पक्ष में दिनांक 02.04.2012 को तस्दीक करवाये गये हकतर्कनामा को एबएनिसियो वॉइड नही माना जा सकता। अतः इस तनकी का निर्णय वादिनी के विरूद्ध किया जाता है।

4. तनकी नं. 4:– इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। वादिनी द्वारा स्वयं को गिरधारी की पुत्री व वैद्य उतराधिकारिणी घोषित करवाने हेतु माननीय सिविल न्यायालय में वाद पेश किया गया है। अतः यह तनकी आंशिक रूप से प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

5. तनकी नं. 5:– इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। स्वयं वादिनी ने माननीय सिविल न्यायालय में विकंय पत्र दिनांक 05.10.2018 को प्रारम्भतः शून्य करार दिये जाने हेतु वादपत्र पेश किया है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

6. तनकी नं. 6:– इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। घोषणा के वांद हेतु कोई मियाद निर्धारित नही होने से इस तनकी का निर्णय प्रतिवादीगण के विरूद्ध किया जाता है।

7. तनकी नं. 7:– इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। वादपत्र में लिखे अनुसार वादकारण उत्पन्न हुआ है। प्रतिवादी ने ऐसा कोई दस्तावेजी या ठोस साक्ष्य पेश नही किया है जिससे उक्त तथ्य प्रमाणित हो। अतः इस तनकी का निर्णय प्रतिवादी के विरूद्ध किया जाता है।

निष्कर्षः– वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त पुत्री को पिता की सम्पति में हक होने से संबंधित है लेकिन यहां मुख्य बिन्दु यह है कि वादिनी गिरधारी की पुत्री है या नही। यह बिन्दु भी माननीय सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। प्रतिवादी द्वारा ग्राम चौढाणी के खाता सं0 नया 87 व पुराना 58 अनुसार ख.न. 575, 600, 603, 604, 845, 846, 847, 850, 908, 909, 912, 914, 915 किता 13 कुल रकबा 7.22 है0 की खातेदारी मै0 श्री सीमेन्ट लि0 रजि0 आफिस बागडनगर ब्यावर जरिये वी.के.शर्मा पि.जे.पी. शर्मा सीनियर जनरल मैनेजर के नाम दर्ज है। जिन्हे वाद में पक्षकार नही बनाया गया है।

आदेश

उपरोक्त तनकीयात के निर्णय व निष्कर्ष अनुसार वाद वादिनी सिद्ध नही होने के कारण वाद वादिनी खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 20.06.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20.6.19

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

प्राथमिक (ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
मुरारी लाल शर्मा (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

दावा : घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड, स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा सं0:– 177 / 2012 (फूलीदेवी बनाम चावलीदेवी आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू मुरारी लाल शर्मा (आर0ए0एस0), उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीनी मिनजानिब मुद्दई रूबरू – वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 20.06.2019 के अनुसार वाद वादिनी सिद्ध नही होने के कारण वाद वादिनी खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

जिन्स.....–..... मुबलिग.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद वशरह.....–.....फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.....का अदा करे।
बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 20 माह 06 सन..2019. को जारी की गई।

20/6/19
उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह.	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	06.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	3.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	04.00	मुतफरिक मिजान	0.00

Scanned by CamScanner